इसे वेबसाईट **www.govtpress.mp.gov. in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2025—कार्तिक 16, शक 1947

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

क्र. यूडीएच-3-0238-2025-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के निम्न नियमों में संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण), दिनांक 26 सितम्बर, 2025 में पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 38 के उपनियम (4) के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

परन्तु, निवेश क्षेत्र के बाहर ऐसी श्वेत श्रेणी उद्योग (एकल इकाई) जो की परिशिष्ट-च में सूचीबद्ध है के लिए यदि अग्नि सुरक्षा के सिद्धान्तों, आपदा प्रवणता तथा प्रतिष्ठान की प्रकृति के आधार पर अभिमत किया जाना हो तो, उपरोक्त उल्लेखित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई की शर्त पर जोर नहीं दिया जायेगा. ऐसी स्थिति में मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई को 6.0 मीटर तक शिथिल करने पर संचालक द्वारा विचार किया जा सकेगा :

परन्तु यह और भी की उपरोक्तानुसार मार्ग चौड़ाई में शिथिलता प्रदान करने की स्थिति में वर्तमान मार्ग मध्य से न्यूनतम 6.0 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

क्र. यूडीएच-03-0238-2025-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक यूडीएच-03-0238-2025-अठारह-5, दिनांक 31 अक्टूबर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुप्रिया पेंड़के, अवर सचिव.

Bhopal, the 31st October 2025

No. UDH-3-0238-2025-XVIII-5.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of Madhya Pradesh Town and Country Planning Act, 1973, the State Government hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Ordinary), dated 26th September, 2025 as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act.

AMENDMENT

In the said Rules, —

(1 In Rule 38, sub-rule (4), after clause (b), the following proviso shall be inserted, namely :—

Provided that, in case of opinion for white categary industry (single unit) listed in appendix-F, outside planning areas; depending upon principles of fire safety, disaster proneness and nature of establishment, the requirement of minimum road width mentioned above may not be insisted upon. In such condition, The Director may consider to relax the minimum width of road to 6.0 meters :

Provided further that, in case of relaxation in the width of the road as mentioned above, it is mandatory to leave a minimum 6.0 meters of land from the center of the existing road for road widening.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PROMAOD KUMAR SHUKLA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.